प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 25.11.2018

छिन्दवाड़ा जिले में दो देशी मदिरा दुकानें क्रमशः देशी मदिरा दुकान माल धक्का एवं देशी मदिरा दुकान चाँद तथा विदेशी मदिरा दुकान ताना नगर को मदिरा दुकानों से थोक मात्रा में मदिरा विक्रय के कारण कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेशनुसार 03 दिवस के लिये दिनांक 23/11/2018 से दिनांक 26/11/2018 तक उनके लायसेंस निलंबित किये जाकर इन मदिरा दुकानों का सील किया गया है। इसी प्रकार भोपाल जिलें में देशी मदिरा दुकान थोक विक्रय के कारण एवं विदेशी मदिरा दुकान त्रिलंगा गुलमोहर को देर रात्रि खुले रहने के कारण एवं थोक में मदिरा विक्रय के कारण कलेक्टर भोपाल के आदेश से दिनांक 24/11/2018 से 26/11/2018 तक उनके लायसेंस निलंबित किये जाकर इन मदिरा दुकानों को सील किया गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें दिनांक 26/11/18 शाम 05:00बजे से दिनांक 28/11/2018 को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी।